

प्रेस नोट दिनांक 03.02.2021

1. दिनांक 02.02.2021 को वादी श्री राजकुमार पाण्डेय पुत्र राम अवध पाण्डेय नि० कोडरा मुसलमीन थाना को०बीकापुर अयोध्या **हालपता**— ट्यूबेल आपरेटर नलकूप खण्ड अम्बेडकर नगर मुख्यालय अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि लल्लन, मोबाइल नं० 9935206673 कैम्प कार्यालय 563/60 चित्रगुप्त नगर लखनऊ अभियुक्त द्वारा समाज को गुमराह करने के उद्देश्य से कूट रचित पैड तैयार कर उपयोग में लाना। जिसके संबन्ध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 73/21 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

2. दिनांक 02.02.2021 को वादी उ०नि० श्री विनय कुमार सिंह थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मोनू तिवारी पुत्र. भरत कुमार तिवारी नि० अलीपुर थाना इनायतनगर अयोध्या **गिर०** अभियुक्त के कब्जे से 10 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद होना। जिसके संबन्ध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 45/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

3. दिनांक 02.02.2021 को वादी श्री नरेश कुमार पाल पुत्र बल्लू राम पाल नि० मायावती कालोनी थाना इन्दिरा नगर लखनऊ द्वारा सूचना दिया गया कि 1. कुन्ज सोनी पुत्र राजेन्द्र सोनी नि० पूराबाजार थाना महाराजगंज अयोध्या, 2. कुबेर सिंह पुत्र मृत्युन्जय सिंह, 3. लव सिंह पुत्र विजय प्रताप सिंह, 4. राजा सिंह पुत्र प्रमोद कुमार सिंह, 5. आकाश सिंह उर्फ गोलू पुत्र कमला सिंह **गिर०**, 6. आकाश सिंह पुत्र राजकुमार सिंह **गिर०** नि०गण नारा थाना महाराजगंज अयोध्या व 02-03 अज्ञात व्यक्ति अभि०गण द्वारा वादी की गाड़ी इण्डिको कार नं० यूपी 32 जेएन 7714 को किराये पर लखनऊ से लेकर अपने गाँव नारा लाना, दिनांक 01.02.21 की रात्रि में अपने घर बंधक बनाकर रखना, दिनांक 02.02.21 को पुनः अभि०गण द्वारा शिव बाबा अम्बेडकरनगर ले जाना, मौका पाकर वादी द्वारा लखनऊ जाते समय पूरा बाजार के पहले अभि०गण द्वारा वादी को मारपीट कर कार व मोबाइल छीन लेना व जान माल की धमकी देना। जिसके संबन्ध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 31/21 धारा 147, 342, 394, 506, 34 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

4. दिनांक 02.02.2021 को वादी उ०नि० श्री सुदर्शन प्रसाद आर्या थाना को०रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि हनुमान पुत्र राम राज नि० रसूलपुर थाना को०रुदौली अयोध्या **गिर०** अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबन्ध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 43/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

5. दिनांक 02.02.2021 को वादी श्री बाबू भाई पुत्र राम लहरी नि० पूरा उर्फ सुमेरपुर थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि हरगुन पुत्र शंकर नि० पूरा उर्फ सुमेरपुर थाना कुमारगंज अयोध्या आदि 04 नफर जमीनी विवाद को लेकर अभि०गण द्वारा घर में घुसकर वादी व उसके पुत्र को धारदार से मारना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबन्ध में थाना कुमारगंज में मु०अ०सं० 35/21 धारा 323, 324, 504, 506, 452 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।